

नायब सैनी ने 13 मंत्रियों के साथ शपथ ली

पंचकुला, 17 अक्टूबर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को लगातार दूसरी बार गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 11 कैबिनेट मंत्रियों और दो राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में अनिल बिज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी तथा आरती सिंह राव शामिल हैं।

इनके अलावा, राजेश नागर तथा गौरव गौतम ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र

विहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डी.जी.पी. ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद दो स्पेशल इन्वैस्टिगटिंग टीम गठित की गई हैं।

एक सैटअप स्थानीय स्तर पर अपराधिक तत्वों के लिए होने का पता लगाया गया। दूसरी एस.आई.ई.टी. इस घटना व इससे पहले हुई घटनाओं की जांच करेगी। उसके आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा।

एक लिंकर माफिया का नाम सामने आ रहा है, जो पहले भी ऐसे कांड में लिप्त रहा है। राज्य के शराबबंदी मंत्री रलेश साडा ने कहा था कि क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर शराब माफिया को खत्म कर देंगे, पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यह घटना उस कानून की विफलता नहीं है, तो मंत्री महोदय थडक गए और कहा कि "मुख्यमंत्री जैसी बात मत करो। मैं अपने घर के अंदर कुछ करता हूँ तो स्थानीय पुलिस थाने को इसका पता कैसे लगाया कि मैं क्या करने वाला हूँ।"

नतीजा कुमार जो बिहार के सबसे लम्बे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं - ने लोगों से कहा कि वे उन लोगों के प्रति सचेत रहें, जो आम जनता को शराब पीने के लिए उकसाते हैं।

समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, नड्डा, मनोहर लाल, धर्मेन्द्र प्रधान, पासवान, जीतन राम माझी व राजीव रंजन सिंह मौजूद रहे।

प्रभार) के रूप में शपथ ली। दशहरा मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतनराम माझी तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने शिरकत की।

समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, गुजरात के आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिम बंगाल के सी. वी. आनंद बोस, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश

के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्णु देव साय, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कान्नाड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यु रियो, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले), त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भाजपा शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी

उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा, धारा 6ए अवैध प्रवास का विधायी समाधान है

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6-ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को बहुमत के फैसले से खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कानूनी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बहुमत के विचार से असहमत जताई। मुख्य न्यायाधीश ने फैसले का अंश पढ़ते हुए कहा कि प्रावधान के उद्देश्य को बंगलादेश युद्ध के बाद की छठपूँ में समझा जाना चाहिए। संविधान पीठ की ओर से उन्होंने कहा कि असम

समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6ए विधायी समाधान है। उन्होंने कहा कि धारा 6-ए मानवीय चिंताओं और स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू की गई थी।

महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की अधिकांश सीटों पर सहमति बनी

मुंबई, 17 अक्टूबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक चरण में मतदान का आयोजन किया जाएगा। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती का जाएगा। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीट शेरिंग का पंच अब भी फंसा हुआ है। इसी मामले में आज महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई गई, जो अब खत्म हो चुकी है।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार 263 सीटों पर सहमति हो चुकी है, मात्र 25 सीटों पर चर्चा बाकी है।

कल महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। बता दें कि यह प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की तैयारियों से जुड़े कुछ सवालों को लेकर मुलाकात करेगा। आज की बैठक को लेकर एन.सी.पी. शरद पवार गूट के नेता अनिल देशमुख ने बयान दिया है। अनिल देशमुख ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सिर्फ 10 फीसदी सीटों पर ही चर्चा बाकी है।

बी.सी.आर. व बार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या प्रावधान किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस गणेश राम मोना की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता हेमा तिवाड़ी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के तहत महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया। जिसके तहत संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 सितंबर को अदिति चौधरी बनाम बार कौंसिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में बार कौंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया कि वह बार कौंसिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी 33 फीसदी सीट आरक्षित रखें।

न्यायमूर्ति संजीव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और एक साल बाद यहां स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था। परंपरा है कि मौजूदा सी.जे.आई. अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सी.जे.आई. चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया गया है, हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा।

64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं।

रेल आरक्षण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रद्द करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

सूत्रों के अनुसार, ए.आर.पी. को 60 दिन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि अग्रिम आरक्षण के लिए प्लानिंग में आसानी हो। 120 दिन के ए.आर.पी. में यात्री कम और दलाल ज्यादा बुकिंग करते हैं। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि यात्री यात्रा नहीं करते हैं और टिकट रद्द करना भूल जाते हैं। इससे जरूरतमंद यात्रियों को सीटें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सूत्रों ने कहा कि पहले ए.आर.पी. 60 दिन का ही था। इसको 120 दिन करने का फैसला 31 मई 2020 को किया गया था।

शेख हसीना के खिलाफ अरैस्ट वॉरंट जारी

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने वारंट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप के तहत, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा 45 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

हसीना को 18 नवंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है।

ऐसे में अब बड़ा सवाल भारत की प्रतिक्रिया को लेकर है। ये देखना होगा कि भारत इस मामले में अगला कदम क्या उठाता है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं।

लंदन में मुख्यमंत्री का...

समानुसार) प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ने और मातृभूमि के साथ उनके संबंधों को जीवंत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से राज्य में निवेश और नए व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता करने का भी अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा इंग्लैंड दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स (बी.आई.पी.) के आयुक्त रोहित गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल आज शाम लंदन

कोटा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोटा में ...

कोटा में ...

कोटा में ...

कोटा में ...

कोटा में ...

कोटा में ...

LOVED IN 75 COUNTRIES

BAJAJ THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN

डेरिंग वाली दिवाली

₹ 10,000* तक की बचत

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

*कैशबैक ऑफर अन्य पल्सर मॉडल्स पर भी उपलब्ध। अतिरिक्त ऑफर्स Flipkart और amazon.in पर भी उपलब्ध।

DEFINITELY DARING

राष्ट्रदूत (एचयूपी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेरा शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूँ (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डोलीसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिन्दावीसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Sikar: J.M. BAJAJ 9829219003 • Jhunjhunu J.M. BAJAJ 9785538377 • Churu Pankha Road SAMRAT MOTORS 9461236566. Authorised Service Centre: Khandela 9929394581 • Danta 8233414243 • Mandrella 9829227852 • Sujangarh 9414402288 • Fatehpur 9829859350 • Sardarsahar 7737710123 • Sri Madhopur 9530165273 • Reengus 9928237709 • Losal 9828715717 • Khatu Shyam Ji 9460167226 • Chirawa 9829221115 • Pilani 9829199976 • Navalgarh 9610130580 • Surajgarh 9413366025 • Gudha 9982910180 • Taranagar 9414894100 • Rajgarh 9413366025 • Sultana 9828950340 • Singhana 8561893461 • Sewadbari 9783508264 • Mandawa 9672941155 • Palsana 9413672378 • Laxmanagar 9251927262 • Udaipurwati 9314270837 • Bidisar 9672876633.